

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ० मधु खरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 1055-एक/2010 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 27-03-2010- पारित द्वारा प्रशासकीय सदस्य, राजस्व
मण्डल, म०प्र०ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 377-एक/2010

1- गोकुल सिंह पुत्र भेरुसिंह
2- भेरुसिंह मृतक वारिस शंकर सिंह
मदन सिंह, सुगन कुँवर, रेशमवाई, मोहनकुँवर वाई
सभी निवासीगण ग्राम कछालिया चांद
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म०प्र०
विरुद्ध

---आवेदकगण

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी
एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन

--- अनावेदक

(श्री अखलाक कुरेशी अभिभाषक - आवेदकगण)

आ दे श

(दिनांक 30 दिसंबर 2015)

प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर द्वारा
प्रकरण क्रमांक 377-एक/2010 अपील में पारित आदेश दिनांक
27-03-2010 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 51 के अंतर्गत यह पुनरावलोकन आवेदन दिनांक
22-7-2010 को प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण का सारोँश यह है कि बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र०
ग्वालियर के न्यायालय में मृतक दीवान सिंह पुत्र दूलेसिंह निवासी
लालगढ़ तहसील महिदपुर द्वारा मध्य प्रदेश कृषि खातों की
अधिकतम सीमा अधिनियम में निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि
धारण करने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र.
ग्वालियर के न्यायालय से दिनांक 31-7-78 को प्रकरण
अपरआयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के यहाँ अंतरित होने पर मृतक
दीवान सिंह के वारिसान के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तथा हितबद्ध
पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 22-6-89 पारित किया

01

गया तथा धारक के परिजन की पात्रता अनुसार 22.155 हैक्टर भूमि छोड़ते हुये शेष भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में भूमिधारक एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न अपील की गई , जिनमें पारित आदेश दिनांक 28-5-94 तथा 20-9-96 से अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग का आदेश दिनांक 22-6-89 निरस्त किया गया तथा पुनः जांच एवं सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के यहाँ प्रकरण क्रमांक 01 अ-90 (बी-3)/1996-97 में पुनः जांच एवं सुनवाई करने के वाद आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2010 पारित किया गया तथा धारकों के परिवार की पात्रतानुसार 22.155 हैक्टर भूमि छोड़ते हुये शेष भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील क्रमांक 377-एक/2010 होने पर आदेश दिनांक 27-03-2010 से अपील अस्वीकार करते हुये अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-1-10 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना गया। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि बहस सुनने के पश्चात् 27-3-10 को आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी 28-6-10 को हुई। तत्पश्चात् प्रार्थिया ने नकल का आवेदन ग्वालियर के अभिभाषक को पहुंचाया, जिन्होंने 1-7-10 को आवेदन देकर 3-7-10 को नकल प्राप्त कर डाक से भिजवाई। नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से संपर्क कर 22-7-10 को पुनरावलोकन आवेदन दिया गया है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जाय

5/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर एवं अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर विचार करने पर स्थिति यह है कि प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 377-एक/2010 अपील में आवेदक के अभिभाषक श्री अखलाक कुरेशी ने पेशी 26-3-2010 को ग्राह्यता पर एवं स्थगन पर तर्क प्रस्तुत किये हैं एवं प्रकरण में दूसरे दिन यानि 27-3-10 को आदेश पारित हुआ है। विचार योग्य है कोई भी आवेदक/अपीलांत जब किसी प्रकरण में ग्राह्यता के साथ ही स्थगन हेतु आवेदन देता है तथा तर्क प्रस्तुत करता है तो यह ज्ञात करने का प्रयास अवश्य करेता है कि उसके आवेदन के विषय में क्या निर्णय हुआ, परन्तु प्रकरण क्रमांक 377-एक/2010 अपील में पेशी 26-3-2010 को तर्क प्रस्तुत करने के बाद स्थगन प्राप्त हुआ अथवा नहीं - इसकी जानकारी प्राप्त नहीं करना आवेदकगण की उदासीनता एवं स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक न रहने का द्योतक है, जिसका अनुचित लाभ प्राप्त करने के आवेदकगण हकदार नहीं हैं। आदेश दिनांक 27-3-10 से दिनांक 28-6-10 की अवधि के बीच आवेदकगण को आदेश की जानकारी क्यों नहीं हो पाई एवं दिनांक 28-6-10 को किस श्रोत से जानकारी हुई - इस बात का आवेदकगण के अभिभाषक इस पुनर्विलोकन प्रकरण में समाधान नहीं करा सके हैं। ऐसी स्थिति में पुनरावलोकन आवेदन अवधि-वाह्य प्रस्तुत करने के कारण सुनवाई हेतु ग्राह्य करना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य-योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ० मधु खरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर